संख्याः 6890-6906/23(1)–छः/2013

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. अपर निदेशक (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
2. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा दिनांक 10 जनवरी, 2014

विषय :– **शिक्षकों की पदोन्नति/स्थानान्तरण/संशोधनों के उपरान्त उपलब्ध रिक्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपडेट करने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभाग द्वारा **उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013** के अनुसार कतिपय शिक्षकों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण संशोधन, पदोन्नति व पदोन्नति स्थल संशोधित किये जा रहे हैं/किये गये हैं। इस प्रकिया के उपरान्त रिक्त होने वाले पदों का स्पष्ट विवरण वेबसाइट पर 15 दिनों के अन्तर्गत अपडेट किया जाना आवश्यक है। जिससे रिक्तियों की स्पष्ट सूचना वेबसाइट/विभाग के पास हर समय उपलब्ध रहे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकिया के उपरान्त रिक्त होने वाले पदों का स्पष्ट विवरण वेबसाइट पर समय–समय पर अपेडेट करना सुनिश्चित करें। साथ ही इस पर विशेष ध्यान दिया जाय कि वेबसाइट पर दर्शाई गई रिक्तियों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी स्वंय उत्तरदायी होगें।

भवदीय,

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं./6890-6906/23(1)–छः/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड